फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

गोवर्धन बनाम कुम्हार वगै0

संख्या : 61/2020

दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
28-11-2022	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप./प्रतिवादी संख्या 1, 3 की ओर से "सहमति डिक्री जारी करने बाबत" प्रा.पत्र पेश किया। प्रति दिलाई गई। पत्रावली वास्ते सहमति आदेश हेतु दिनांक 5-12-2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	कोटिमाली 3406 (हस्ताक्षर)
5-12-2022	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप. वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3 के अधिवक्ता मे कुर्जात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 4-1-2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	ओर पार लाल (हस्ताक्षर) 5/12/22
4-1-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप. वाद वादी तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्जात के आधार वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	

विशेष विवरण

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 61/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक – 07.09.2020

1. गोवर्धन पुत्र श्री रामू जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र बाबूलाल
2. बनवारी पुत्र रामू
3. राजू पुत्र बाबूलाल

समस्त जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर।

4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरनाडूंगर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

(1) श्री मनोहर सिंह – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री राजेश कुमार सैनी–प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से

दिनॉक:– 04.01.2023

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दशरसिंहपुरा पटवार क्षेत्र पुनाना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 220/542 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 224/476 रकबा 0.88 खसरा नम्बर 225/2 रकबा 3.22 हैक्टेयर खसरा नम्बर 234 रकबा 2.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 235/2 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 7.21 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एवं अंकित चला

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

आ रहा है। चूंकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01.09.2020 को वादी से विभाजन से साफ इन्कार कर दिया एवं बिना विभाजन ही गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से वादी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करके भूमि को अनुचित रूप से विक्रय हस्तांतरण, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। इस संबध में वादी ने प्रतिवादीगण को वाद अधीन भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने वादी को एलानिया धमकी दी की वाद अधीन कृषि भूमि पर मनमर्जी के अनुसार व निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेंगें। इसलिए तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग से अपना कब्जा हटा लों अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नही है।

प्रतिवादीगण गैर--कानूनी तरीके से वादी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिए वादी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन करवाकर अपने हिस्से कि खातेदारी व कब्जा--काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण की विधि अनुसार तलवी की गई। दिनांक 02.03.2022 को पत्रावली पेश हुई प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथनिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाये गये।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 3 के अधिवक्ता द्वारा मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. गोवर्धन पुत्र रामू जाति बलाई सा0 हाथोज खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से में खसरा नम्बर 234/4 कुल किता 1 कुल रकबा 1.1650 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. बनवारी पुत्र रामू जाति बलाई सा. हाथोज खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सारना डूंगर के हिस्से खसरा नम्बर 234/3 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/2/3 रकबा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

0.6550 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1650 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।

3. कजोड पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 राजू पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा. हाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से में खसरा नम्बर 220/542 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224/476/1 रकबा 0.79 हैक्टेयर, 225/2/1 रकबा 3.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234/1 रकबा 0.5250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/2/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.66 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

4. कजोड पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 राजू पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 गोवर्धन पुत्र रामू हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा. हाथोज तहसील आमेर खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर बनवारी पुत्र रामू हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा. हाथोज खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सरना डूगर के हिस्से खसरा नम्बर 224/476/2 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/2/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234/2 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/2/1 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 61/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक – 07.09.2020

गोवर्धन पुत्र श्री रामू जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र बाबूलाल
2. बनवारी पुत्र रामू
3. राजू पुत्र बाबूलाल

समस्त जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर।

4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरनाडूंगर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक 04.01.2023

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. गोवर्धन पुत्र रामू जाति बलाई सा0 हाथोज खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से में खसरा नम्बर 234/4 कुल किता 1 कुल रकबा 1.1650 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. बनवारी पुत्र रामू जाति बलाई सा. हाथोज खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नम्बर 234/3 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/2/3 रकबा 0.6550 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1650 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।
3. कजोड पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 राजू पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा. हाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से में खसरा नम्बर 220/542 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224/476/1 रकबा 0.79

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

0.6550 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1650 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।

3. कजोड पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 राजू पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा. हाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से में खसरा नम्बर 220/542 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224/476/1 रकबा 0.79 हैक्टेयर, 225/2/1 रकबा 3.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234/1 रकबा 0.5250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/2/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.66 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

4. कजोड पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 राजू पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 गोवर्धन पुत्र रामू हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा. हाथोज तहसील आमेर खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर बनवारी पुत्र रामू हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा. हाथोज खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सरना डूगर के हिस्से खसरा नम्बर 224/476/2 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/2/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234/2 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, 234/5 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235/2/1 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर